न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा
राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार केम्प सहाड़ा
पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 64/2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. मधुबाला पत्नी सुरेश चौधरी नि. उल्लाई तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
2. रामकन्या पत्नी किशनलाल शर्मा निवासी मेघरास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. कृषि उपज मण्डी समिति गंगापुर जिला भीलवाड़ा बजरिये सचिव।
2. सुरेशचन्द्र आत्मज रतनलाल चौधरी निवासी उल्लाईतह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।
3. किशनलाल आत्मज उदयराम शर्मा निवासी मेघरास तह. सहाड़ा भीलवाडा जिला भीलवाडा।

——विपक्षीगण

:: **<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956</u>** ::

निर्णय दिनांकः–22.05.2018

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर ग्राम सहाड़ा पटवार क्षेत्र सहाड़ा, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा में राजस्व खाता संख्या 839 पर आराजी संख्या 5878 रकबा 0.14 है0, कुल किता 1 रकबा 0.14 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता उपस्थित। जिनमें से विपक्षीगण संख्या 1 की और से रूपलाल पुरोहित उपस्थित। विपक्षी संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर बहस की गई।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थनापत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सहाड़ा पटवार क्षेत्र सहाड़ा, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा में राजस्व खाता संख्या 839 पर आराजी संख्या 5878 रकबा 0.14 है0, कुल किता 1 रकबा 0.14 है0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी किये पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को राजस्व लोक अदालत केम्प सहाड़ा में सुनाया गया।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा)